School of Social Sciences

Certificate

I here by declare that the short synopsis "छठी शताब्दी ई० पू० से तृतीय शताब्दी ईस्वी तक भारत में स्त्रियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन" (Chhathi Shatabdi Isha Purva se Tritiya Shatabdi Isvi tak Bharat mein Striyon ki Samajik evam Aarthik Sthiti ka Adhyayan) Being submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy in Ancient History under school of Social Sciences of U.P. Rajarshi Tandon Open University, Prayagraj during the academic year **2023**.

It is a bonafide record of original work carried out under the supervision of **Dr. Sunil Kumar, Assistant Professor** and has not been submitted in full or part to any other university or institute for a degree or diploma. Further, it is certified that the short synopsis is plagiarism-free and the repot has been submitted.

19/7/25

Kavita Bhartiya
En.No.-2301502

19/07/2025

Supervisor
Dr. Sunil Kumar,
Assistant Professor, Ancient History,
School of Social Sciences

19/7/25

Prof. Santosha Kumar
Director, School of Social Sciences

19/07/25

Prof. P.K. Pandey
Secretary of RDC/Director, R & D Cell

"छठी शताब्दी ई० पू० से तृतीय शताब्दी ईस्वी तक भारत में स्त्रियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन''

"Chhathi Shatabdi Isha Purva se Tritiya Shatabdi Isvi tak Bharat mein Striyon ki Samajik evam Aarthik Sthiti ka Adhyayan"

SHORT SYNOPSIS

Submitted in partial fulfillment of the requirement of the degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY IN **Ancient History**

to

U.P.Rajarshi Tandon OpenUniversity, Prayagraj

by

Kavita Bhartiya

En.No.-2301502

Under the Supervision of

Dr. Sunil Kumar

Faculty of **Ancient History**

School of Social Sciences

School of Social Sciences

U.P. Rajarshi Tandon Open University Shantipurm,

(Sector–F)Phaphamau, Prayagraj–211021

1. सारांश :–

प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों की स्थिति उच्च होने के साथ–साथ उन्हें सम्मानपरक पद तथा प्रतिष्ठा प्राप्त होते थे। भारतीय संस्कृति स्त्रियो को सर्वशक्ति मानते हुए प्रज्ञा, शील, ममता, यश तथा संपत्ति की प्रतीक के रूप में मानती रही है। स्त्री किसी भी समाज की आधार बिंदु होती है जिस पर पूरा परिवार आश्रित होता है। समाज में उनकी भूमिका विभिन्न रूपों में उनके कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के रूप में परिलक्षित होती है। स्त्री से परिवार, परिवार से कुल, कुल से संप्रदाय, संप्रदाय से समाज तथा समाज से राष्ट्र का गौरववर्धन होता है। प्राचीन काल में स्त्री विविध क्षेत्रों में सबल तथा निष्ठावान रही हैं तथा अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से पूर्ण करती थी। स्त्रियाँ किसी भी समाज की आधी आबादी हैं। बिना इन्हें साथ लिए कोई भी समाज अपनी संपूर्णता में बेहतर नहीं कर सकता है। स्त्री के सर्वांगीण विकास से ही समाज एवं राष्ट्र के विकास का सम्यक तथा यथार्थ चित्रण एवं मूल्यांकन किया जा सकता है।

बीज शब्द–स्त्री, बौद्व साहित्य, जैन आगम, संस्कृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विदेशी विवरण, कला एवं स्थापत्य।

CONTENTS

S.N.-	Description	Page No.
1	Introduction	1-2
2	Literature Review	2-7
3	Description Broad Area	7-8
4	Objectives of the Study	8-8
5	Research Methodology	8-11
6	Expected Outcome of the Research	11
	References	
	Plagiarism Report	

1. प्रस्तावना

प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों की स्थिति उच्च होने के साथ–साथ उन्हें सम्मानपरक पद तथा प्रतिष्ठा प्राप्त होते थे। भारतीय संस्कृति स्त्रियों को सर्वशक्ति मानते हुए प्रज्ञा, शील, ममता, यश तथा संपत्ति की प्रतीक के रूप में मानती रही है। स्त्री किसी भी समाज की आधार बिंदु होती है जिस पर पूरा परिवार आश्रित होता है। समाज में उनकी भूमिका विभिन्न रूपों में उनके कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के रूप में परिलक्षित होती है। स्त्री से परिवार, परिवार से कुल, कुल से संप्रदाय, संप्रदाय से समाज तथा समाज से राष्ट्र का गौरववर्धन होता है। प्राचीन काल में स्त्री विविध क्षेत्रों में सबल तथा निष्ठावान रही हैं तथा अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से पूर्ण करती थी। यद्यपि वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति समाज में सम्माननीय एवं संतोषजनक थी। किंतु धीरे–धीरे उसमें गिरावट आती गई तथा महाकाव्य काल में उनकी दशा काफी हीन हो चुकी थी। उन पर अनेकों अन्यायपूर्ण एवं अनुचित सामाजिक निषेध लागू किए गए।

छठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्त्रियों की दशा में सुधार के प्रयास किए गए। बौद्ध साहित्य में कन्या की संतोषजनक स्थिति का चित्रांकन मिलता है। "संयुक्त निकाय" में भगवान बुद्ध का एक स्थान पर यह कथन है कि कभी–कभी पुत्र की तुलना में स्त्री श्रेयस्कर होती है। बौद्ध धर्म यज्ञादि में विश्वास नहीं करता था। अतः मोक्ष प्राप्ति हेतु पुत्र का होना अनिवार्य नही माना जाता था। पुत्री को पुत्र के समान महत्व दिया जाता था। ज्येष्ठ भ्राता अपनी बहनों का भरण–पोषण तथा संरक्षण प्रायः पिता के समान ही करते थे। पिता के न रहने पर कन्या को विवाह पर्यंत अपने बड़े भाई के संरक्षण में रहते हुए जीवन व्यतीत करने का पूर्ण अधिकार था। पारिवारिक जीवन में पुत्रवधू पर उसके सास–ससुर का कठोर नियंत्रण रहता था। उसे प्रत्येक कार्य के लिए सास–ससुर से अनुमति लेना आवश्यक होता था। तत्कालीन समाज में विधवा होना अभिशाप था। पारिवारिक स्वतंत्रता, परतंत्रता में परिवर्तित होती जा रही थी। जीवन निर्वाह कृषि शिक्षा ही एकमात्र संबल रह जाता था। बौद्ध युगीन समाज में दास व दासियाँ विद्यमान थी। इनका जीवन पालन बहुत कठिन था। दासियों का क्रय–विक्रय किया जाता था। अधिकांश दासियाँ गृहकार्यों में समय व्यतीत करती थी। कुछ दासियाँ वीणा, गायन, मृदंग आदि में पारंगत होती थी और स्वामी परिवार के आमोद–प्रमोद के लिए विविध आयोजनो में हिस्सा लेती थी। बौद्ध साहित्य में कन्याओं को शिक्षा देने की समुचित व्यवस्था का ज्ञान नहीं मिलता, परन्तु बहुत सी शिक्षित कन्याओं का उल्लेख अवश्य मिलता है जो शिक्षिका बनकर अपने जीवन का निर्वाह करती थी तथा अपना शिक्षण कार्य उत्साह व लगन के साथ निष्ठा पूर्वक संपन्न करती थी। भिक्षुणी 'खेमा' अपने समय की अत्यन्त विदुषी महिला थी। उनकी विद्वता की प्रशंसा सुनकर स्वयं कोशल नरेश प्रसेनजित उसकी सेवा में लग गया था। 'सुभद्रा' नाम की दूसरी भिक्षुणी का 'संयुक्त निकाय' में उल्लेख है।

बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि तत्कालीन वेश्यायें भी पर्याप्त रूप से शिक्षित और सुसंस्कृत होती थी। इस सम्बन्ध में 'आम्रपाली' का उल्लेख विशेष महत्वपूर्ण है। यह वैशाली की प्रसिद्ध गणिका थी। जब महात्मा बुद्ध वैशाली गये तो आम्रपाली ने उन्हें अपने घर पर भोजन के लिये आमन्त्रित किया। महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनकर आम्रपाली बुद्ध की शिष्या बन गई। इन उदाहरणों से कन्याओं को उच्च कोटि की शिक्षा देने की उचित व्यवस्था का ज्ञान नहीं होता। तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय केवल बालको के लिये ही निश्चित था। कन्याऐं यहाँ शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थीं। ए० एस० अल्तेकर लिखते है कि बचपन में कन्याओं का विवाह किये जाने के कारण स्त्रियाँ शिक्षा–विहीन रहती थी। गणिकाओं का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। नगर गणिका के पद पर अति सुन्दरी नारी की नियुक्ति की जाती थी। नगरवासी और आम जनता अपने नगर की गणिका के सौन्दर्य और कलाओं पर गर्व का अनुभव किया करते थे। गणिका–अभाव किसी भी प्रमुख नगर के जीवन की महती त्रुटि समझी जाती थी। सुलसा, सामा, आम्रपाली सभी समाज में सामान्य स्थान रखती थी। यद्यपि सामान्य जनता के द्वारा घृणा की दृष्टि से अवश्य देखी जाती थी। इनके प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को मदनमोहन सिंह लिखते हैं "समृद्ध गणिकाओं को खूब धन, आदर और यश मिला। प्रायः समाज चांदी–सोने के थोड़े से टुकड़ों के बदले में शरीर–विक्रय के कार्य को हेय दृष्टि से देखता था।" किंतु इनका रहन–सहन राजसी और ऐश्वर्य युक्त होता था। गणिकाओं से उत्पन्न पुत्र यदि प्रतिभावान होता था तो उसे सम्मान और योग्यता अनुसार उच्च पद प्राप्त करने में कोई बाधा आड़े नहीं आती थी।

जैन ग्रंथो में परिशिष्टपर्वन, भगवतीसूत्र, कल्पसूत्र आदि सम्मिलित है। यह मुख्यतः धर्म दर्शन से संबंधित है। किंतु इनसे सामाजिक विषयों की कुछ जानकारी भी मिलती है। परिशिष्टपर्वन से महावीर के समय से मौर्य काल तक इतिहास की काफी सामग्री मिलती है। जैन आगमों में विवाह के योग्य निश्चित अवस्था की जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन इससे इतना अवश्य ज्ञात होता है कि वर–वधु को समान वय होना चाहिए। ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत में अधिक अवस्था में विवाह होना हानिप्रद माना जाता था। जैन सूत्रों से तीन प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है–माता–पिता द्वारा आयोजित विवाह, स्वयंवर विवाह एवं गंधर्व विवाह। साधारणतया अपनी जाति में विवाह करने का रिवाज था। समान स्थिति तथा व्यवसाय करने वाले लोगों के साथ विवाह संबंध स्थापित किया जाता था। विवाह के पश्चात पति–पत्नी में संपूर्ण सामंजस्य की कामना की जाती थी। इस काल में दहेज प्रथा विद्यमान थी और एक से अधिक विवाह की अनुमति का भी प्रचलन था। सामान्यतः स्त्रियों के लिए सतीत्व का पालन आवश्यक था। कुछ परिस्थितियों में विधवा विवाह को उचित माना जाता था। किंतु ऐसा विदित होता है कि विधवा विवाह को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। जैन आगमो में नियोग प्रथा के उदाहरण मिलते हैं। इस काल में सती प्रथा के उदाहरण कम ही मिलते है। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। गणिकाएँ समाज का अभिन्न अंग होती थी।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य कालीन स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें आठ प्रकार के विवाहों, स्त्रीधन, गणिका, दास प्रथा तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में कर व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख मिलता है जिनके द्वारा तत्कालीन समाज में स्त्रियों की विभिन्न दशाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि मौर्य काल में बालिकाओं का जन्म गौरव का विषय था। कन्याओं की शिक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता था। विवाह युवावस्था में किया जाता था और इस युग में बहुविवाह प्रथा विद्यमान थी। विवाहों में माता-पिता द्वारा पुत्री को दिए गए स्त्री धन को दो प्रकारों में वर्णन किया गया है-वृत्ति और आवध्य। कौटिल्य के अनुसार वृत्ति की मात्रा दो सहस्त्र (पण) से अधिक होनी चाहिए। आवध्य के विषय में कोई नियम नहीं था। इस पर स्त्री का अधिकार होता था। सामान्यतः स्त्री धन खर्च नहीं किया जा सकता था। कौटिल्य ने कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्री धन को खर्च करने की अनुमति प्रदान की है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि उस काल में विवाहित स्त्रियों को अनेक प्रकार के बंधनों में रहना पड़ता था। उसने लिखा है कि यदि कोई स्त्री पति के कुल से बाहर जाए तो उसे छः पण पर दंड दिए जाएं। मौर्य युग में स्त्रियाँ प्रायः घरों में रहा करती थी। कौटिल्य ने केवल कुछ जगहों पर कुछ विशेष दशाओं में ही स्त्रियों को बाहर जाने की छूट दिए जाने का उल्लेख किया है। इस काल में बहुत सी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, जो परिव्राजिका, दासी, भिक्षुणी, नर्तकी आदि के वेश बनाकर राज्य के गुप्तचर विभाग में कार्य किया करती थी। इस काल में बहुत सी स्त्रियाँ विवाह कर पारिवारिक जीवन ना बिताकर गणिका वैश्या रूपजीवा के रूप में स्वतंत्र जीवन व्यतीत किया करती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से दासियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों, उन कार्यों के बदले मिलने वाली राशि, स्वामियों का दासियों के प्रति व्यवहार आदि के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोतों के अन्तर्गत भारत में आए विदेशी यात्रियों के विवरणों से भी तत्कालीन समाज की जानकारी मिलती है। चीनी, यूनानी, अरबी तथा फारसी आदि विदेशी लेखकों ने महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री अपनी पुस्तकों के माध्यम से उपलब्ध करवाई है। किंतु उनमें स्त्रियों द्वारा विदेशी यात्रियों के सीधे जानकारी देने में संकोच तथा पर्दा प्रथा आदि के कारण अधिकांश यात्रियों ने सामाजिक विषयों पर पुरुषों से बातचीत अथवा समाज का अवलोकन करके साक्षात्कार अथवा परामर्श किया है। इस कारण बहुत से बिंदु उनके साहित्य में अछूते रह गए। इस काल में मेगस्थनीज आया था जिसने केवल सामाजिक स्थिति सम्बन्धी विवरण दिया है। विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक महत्व के पदों पर उन दिनों स्त्रियों का ना होना भी एक ऐसा कारण बना जिससे तत्कालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति उभर कर नहीं आ सकी, जिन पदों अथवा क्षेत्र में स्त्रियों का बाहुल्य था, वह अपवाद स्वरूप थे अथवा उन पर पुरुष वर्चस्व था। रहन-सहन, रीति-रिवाज, खान-पान की तत्कालीन व्यवस्थाएं स्त्री संस्कृति को विदेशी यात्रियों के समक्ष उजागर होने से निरंतर रोकती रही। प्रस्तर, दीवारों, गुफाओं,

स्तंभों, ताम्र–पत्रों आदि पर खुदे हुए लेखो से प्रामाणिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को लिया जा सकता है जिसमें मौर्य युगीन समाज, धर्म और संस्कृति का विवरण प्राप्त होता है। रानी स्तंभ अभिलेख में सम्राट अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा प्रजा के कल्याण हेतु किए गए कार्यों का विवरण मिलता है। रानी कारुवाकी ने आम्रवाटिका, दानशाला विश्राम गृह बनवाएं। दानशाला वास्तव में यात्री विश्रामगृह थे जिनमें भोजन व विश्राम के लिए स्थान उपलब्ध होता था। नानाघाटं अभिलेख में सातवाहन वंश के राजा शातकर्णी की पत्नी नागनिका के द्वारा यज्ञ के अवसर पर उत्कीर्ण करवाया गया था जिसमें नागनिका के पुत्रों की अल्प आयु होने के कारण नागनिका द्वारा शासन संचालन करने की जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र शातकर्णी के राज्य के 18 वर्ष पूरे होने पर खुदवाया गया। इसमें भू–दान का वर्णन तथा अभिलेख के नीचे ही एक और अभिलेख खुदा है जिसमें माता गौतमी द्वारा दिए गए भू–दान का वर्णन मिलता है। इस अभिलेख से यह विदित होता है कि प्राचीन काल में स्त्रियों को भी धार्मिक तथा भू–संपत्ति कार्यों में सम्मिलित किया जाता था।

2. साहित्य–समीक्षा

किसी भी शोध कार्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा होती है जो कि शोध कार्य को सैद्वान्तिक तथा व्यवहारिक पृष्ठभूमि प्रदान करती है। प्रस्तावित शोध कार्य को पूर्व अध्ययनों एवं अनुभवों से जोड़े बिना वर्तमान में कार्य करना सम्भव नही होता है। इसी क्रम में इस विषय से सम्बधित कतिपय विद्वानों द्वारा अध्ययन कार्य किया गया है जिसका विवरण इस प्रकार है–टी० मित्र ने अपनी कृति 'द लॉ रिलेटिंग द हिंदू वूमेन' 1881 ई० के साथ हुआ। द्वारिका नाथ मित्र ने अपनी पुस्तक 'पोजीशन ऑफ वूमेन इन हिंदू लॉ' 1913 ई० में व्याख्यान रूप में स्त्रियों की भारतीय कानून में स्थिति दर्शाने का प्रयास किया है। बी सी लॉ द्वारा रचित 'वूमेन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर' 1927 ई० में महिलाओं का बौद्ध धर्म में क्या स्थान रहा की विवेचना की गई है। टी० एस० रेथफील्ड ने 1928 में 'वूमेन इन इंडिया'की रचना की इसमें स्त्रियों की भारत में क्या स्थिति थी? का विवरण दिया है। तथा ऐतिहासिकता का भी लघु वर्णन इसमें मिलता है। आई० बी० हॉर्नर द्वारा रचित पुस्तक 'वूमेन अंडर प्रिमिटिव बुद्धिज्म' 1930 की रचना में स्त्रियों की बौद्ध धर्म के अंतर्गत स्थिति का वर्णन मिलता है। ए० एस० अल्तेकर ने अपनी पुस्तक 'पोजीशन ऑफ वूमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन' 1938 में प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक काल तक की स्त्रियों का बड़े विस्तार पूर्वक से समीक्षा करने का प्रयास किया है। एम० ए० इंद्रा द्वारा अपने शोध कार्य 'द स्टेटस ऑफ वीमेन इन एंशियंट इंडिया' 1940 में विभिन्न क्षेत्रों में स्त्रियों की स्थिति दर्शाने का प्रयास किया गया लेकिन उनके कर्तव्यों के विषय में विवरण का अभाव है। शकुंतला शास्त्री राव द्वारा रचित पुस्तक 'वूमेन इन वैदिक पीरियड' 1960 में स्त्रियों की वैदिक युग में स्थिति का वर्णन दिया। रूपलाल चौधरी

ने 'हिंदू वूमेंस राइट टू प्रॉपर्टी' 1961 में रचना की जिसमे उन्होंने स्त्रियों के संपत्ति अधिकार का विवरण देने का प्रयास किया है। एल० के० त्रिपाठी द्वारा रचित कृति 'स्टेट्स ऑफ वीमेन इन एंशिएंट इंडिया' 1988 (जिल्द 1,2) में स्त्रियों की स्थिति का विवरण प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक संक्षिप्त में दिया गया है। डॉ० अर्चना बिश्नोई द्वारा रचित 'रामायण काल में नारी' नामक शोधकार्य में रामायण काल की नारी की स्थिति का वर्णन मिलता है। डॉ० उर्मिला प्रकाश मिश्रा ने प्राचीन काल से लेकर मध्य काल तक(600 –1200)स्त्रियों की स्थिति का विवरण संक्षिप्त रूप से दिया है। डी० आर० राजपाल की पुस्तक 'वूमेन इन अर्ली मैडवेल इन नॉर्थ इंडिया' 2008 में 7वीं से लेकर 12वीं सदी तक के पूर्व मध्यकालीन भारत में नारी की स्थिति के बारे में विवरण दिया है। विजयलक्ष्मी सिंह ने 'वूमेन एंड जेंडर इन एंशिएंट इंडिया' 2019 नामक शोधकार्य में स्त्रियों की स्थिति का विवरण साहित्यिक स्रोतों के आधार पर दिया है।

3. अध्ययन का क्षेत्र

इतिहास में सीमांकन या क्षेत्र का निर्धारण एक कठिन कार्य है। मेरे अध्ययन का क्षेत्र एक निश्चित कालावधि तक ही सीमित है। इस कालावधि में स्त्रियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के विभिन्न पक्षों का अध्ययन, उनके योगदान एवं महत्व का अध्ययन किया जायेगा। इसके साथ ही देश, काल एवं परिस्थितियों के कारण उनकी स्थिति में हुए परिवर्तनों का भी अध्ययन किया जायेगा।

4. उद्देश्य

1. छठी शताब्दी ई० पू० से तृतीय शताब्दी ईस्वी तक भारत में स्त्रियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. देश, काल एवं परिस्थितियों के कारण हुए अनेक परिवर्तनों के आलोक में उनकी स्थिति का अध्ययन करना।
3. स्त्रियों का परिवार, समाज तथा आर्थिक गतिविधियों में योगदान का अध्ययन करना।
4. स्त्रियों के विभिन्न कर्तव्यों एवं अधिकारों के विषय में अध्ययन करना।

5. शोध प्रविधि

मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है तथा जिज्ञासा मनुष्य की विशिष्ट एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति तथा विशेषता है। मनुष्य की इसी जिज्ञासा प्रवृत्ति ने अनुसंधान को बुनियादी आधार प्रदान किया है। प्रस्तावित शोध विषय की सामग्री ऐतिहासिक है। उपलब्ध ऐतिहासिक मौलिक ग्रन्थों तथा द्वितीयक स्रोतों के सम्यक अध्ययन एवं संकलन हेतु विभिन्न ग्रन्थालयों, पुस्तकालयों एवं शोध संस्थानों से संकलित सामग्री को पूर्वाग्रह रहित होकर व्याख्या तथा वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष प्रस्तुत करना शोध का मुख्य आधार होगा। शोध कार्य में साहित्यिक ग्रन्थों, ऐतिहासिक एवं समसामायिक ग्रन्थों, पुरातात्विक स्रोतों के साथ ही विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर सामग्री का संकलन किया जायेगा। शोध कार्य में पूर्व अध्ययनों,

नवीनतम अध्ययनों एवं अनुभवों के सह–सम्बन्ध के आधार पर शोध कार्य को जन उपयोगी तथा व्यापक बनाने का यथा सम्भव प्रयास किया जायेगा।

6. निष्कर्ष

भारतीय समाज की महिलाओं का एक बड़ा वर्ग आज भी सामाजिक बंधनों की जंजीरों को पूरी तरह से तोड़ नहीं पाया है। उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है या यूँ कहें कि पितृसत्तात्मक समाज उन्हें जन्म से ही ऐसे साँचे में ढालने लगता है कि वे अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिये पुरुषों का सहारा ढूँढती हैं। वहीं यह भी सत्य है कि "जब–जब कोई स्त्री अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है, तब–तब न जाने कितने रीति–रिवाजों, परंपराओं एवं विविध आख्यानों की दुहाई देकर उसे गुमनाम जीवन जीने पर विवश कर दिया जाता है।" इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर भारत में शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व आर्थिक स्तर पर महिलाओं ने अब तक कितनी दूरी तय की है–वर्तमान समय में महिला अपनी बेहतरी की ओर बढ़ रही है परंतु हमेशा से स्त्री की स्थिति इतनी निम्नतर नहीं थी। यदि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल की उनकी स्थिति में अनेक उतार–चढ़ाव दृष्टिगत होता है।

उत्तरवैदिक काल से स्त्री की स्थिति में अचानक बदलाव नहीं हुए। स्त्री पर अनगिनत अंकुश लगाए जाने लगे। मध्यकाल तक आते–आते स्त्री की स्थिति दयनीय हो चुकी थी। हालांकि भारतीय इतिहास में समय के अनुरूप महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ। किसी भी आक्रमण में सर्वाधिक शोषित महिलायें ही रही हैं। स्त्री दशा को सुधार करने की कोशिश फिर आधुनिक काल में ही शुरू हुई। एक लंबे प्रयास व आंदोलनों से गुजरते हुए महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए खुद लड़कर अपने लिए अनेक नए अवसरों का रास्ता खोला। अभी सामाजिक–आर्थिक–राजनीति और सांस्कृतिक रूप से कई जगहों पर इनके साथ समानता का व्यवहार किया जाना बाकी है, जो इस सभ्य समाज में उनका अधिकार है। महिलाओं के लिए संभावनाओं का बड़ा द्वार अभी भी उनके इंतजार में है जो लगातार उनके सशक्त होते रहने से ही खुल सकेगा। महिलाएं परिवार बनाती है, परिवार घर बनाता है, घर समाज बनाता है और समाज ही देश बनाता है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि महिला का योगदान हर जगह है। महिला की क्षमता को नजर अंदाज करके समाज की कल्पना करना व्यर्थ है। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के बिना परिवार, समाज और देश का विकास नहीं हो सकता। महिला यह जानती है की उसे कब और किस तरह से मुसीबतों से निपटना है? जरुरत है तो बस उसके सपनों को आजादी देने की। डॉ. अंबेडकर ने कहा था कि यदि किसी समाज की प्रगति के बारे में सही–सही जानना है तो उस समाज की स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानो। कोई समाज कितना मजबूत हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से इसलिए लगाया जा सकता है कि क्योंकि स्त्रियाँ किसी भी समाज की आधी आबादी हैं। बिना इन्हें साथ लिए कोई भी समाज अपनी संपूर्णता में बेहतर नहीं कर सकता

है। स्त्री के सर्वांगीण विकास से ही समाज एवं राष्ट्र के विकास का सम्यक तथा यथार्थ चित्रण एवं मूल्यांकन किया जा सकता है।

7. प्रस्तावित अध्याय

प्रस्तुत अध्ययन को प्रस्तावित निम्नलिखित अध्यायों में विभाजित किया गया है–

अध्याय प्रथम : प्रस्तावना

अध्याय द्वितीय : स्रोत सामग्री का अध्ययन एवं महत्व

अध्याय तृतीय : बौद्व काल से पूर्व स्त्रियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति

अध्याय चतुर्थ : बौद्व काल में स्त्रियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति

अध्याय पंचम : मौर्य काल में स्त्रियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति

अध्याय षष्टम : मौर्योत्तर काल में स्त्रियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति

अध्याय सप्तम : उपसंहार

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अग्रवाल, वासुदेव शरण, 1999, हर्षचरित, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद
2. अल्तेकर,ए० एस०, 1956, पोजिशन ऑफ वूमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन, मोतीलाल बनारसीदास,वाराणसी
3. इन्द्रा, 1940, स्टेटस आफ वीमेन इन एंशियन्ट इण्डिया
4. उपाध्याय, वासुदेव, 1961, प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन, मोतीलाल बनारसी दास वाराणसी
5. उपाध्याय, भरत सिंह, 2010, थेरीगाथा, गौतम बुक सेंटर, दिल्ली
6. ओम प्रकाश, 2019, प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, न्यू एज पब्लिशर्स,नई दिल्ली
7. बौधायन धर्मसूत्र, आनंदाश्रम संस्कृत सीरीज, पूना
8. बनर्जी, जी.डी., 1923, दि हिन्दू लॉ आफ मैरिज एंड स्त्रीधन
9. मिश्रा, उर्मिला कुमार, 2012, प्राचीन भारत में नारी, मध्य प्रदेश, हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
10. शास्त्री, स्वामी द्वारिका दास, 2008,संयुक्त निकाय, बौद्व भारती, वाराणसी
11. शर्मा, बी० एन०, 1966, सोशल लाइफ इन नॉर्दन इंडिया, मुंशीराम मनोहरलाल, दिल्ली
12. शर्मा, रजनीकांत, 1960, अलबरूनी का भारत, तृतीय भाग, आदर्श हिन्दी पुस्तकालय, इलाहाबाद
13. विद्यांलकार, सत्यकेतु, 1985, मौर्य साम्राज्य का इतिहास, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद
14. लालवानी, के० सी०, 1999, भगवती सूत्र, जैन भवन कलकत्ता
15. सांकृत्यायन, राहुल एवं भिक्षु जगदीश कश्यप, 2020, दीघनिकाय, गौतम बुक सेंटर, दिल्ली
16. सिंह, उपिंदर, 2009, प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास (पाषाण काल से 12वीं शताब्दी तक), पियर्सन प्रकाशन, लंदन
17. सिंह, परमानंद, 2009, बौद्व साहित्य में भारतीय समाज, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी
18. सिंह,मदन मोहन, 2016, बुद्वकालीन समाज एवं धर्म, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, बिहार

DrillBit

The Report is Generated by DrillBit Plagiarism Detection Software

Submission Information

Author Name	Kavita Bhartiya
Title	Chhathi Shatbadi Isha Purva se tritiya Shatabdi eshvi tak bharat me striyon ki samajik awam aarthik isthiti ka addhyan
Paper/Submission ID	3596534
Submitted by	santoshauprtou@gmail.com
Submission Date	2025-05-09 11:32:18
Total Pages, Total Words	9, 2954
Document type	Synopsis

Result Information

Similarity **4 %**

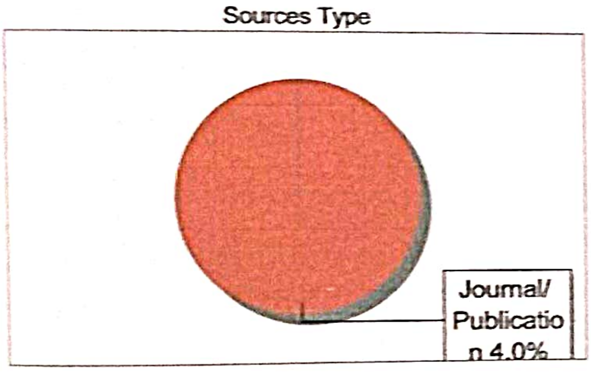

Exclude Information

Quotes	Not Excluded
References/Bibliography	Not Excluded
Source: Excluded < 14 Words	Not Excluded
Excluded Source	**0 %**
Excluded Phrases	Not Excluded

Database Selection

Language	Non-English
Student Papers	Yes
Journals & publishers	Yes
Internet or Web	Yes
Institution Repository	Yes

A Unique QR Code use to View/Download/Share Pdf File

DrillBit

DrillBit Similarity Report

4	1	A	A-Satisfactory (0-10%) B-Upgrade (11-40%) C-Poor (41-60%) D-Unacceptable (61-100%)
SIMILARITY %	MATCHED SOURCES	GRADE	

LOCATION	MATCHED DOMAIN	%	SOURCE TYPE
1	Thesis submitted to shodhganga - shodhganga.inflibnet.ac.in	4	Publication